

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT
JAHANABAD SCORE, JAHANABAD

अग्नि-शामक यंत्रों जाँच

प्रमाण-पत्र
Authorization No. 2033

भारत



INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs. 0000010

374145

**Zero*Zero*Zero*Zero*Zero*One*Zero*

बिहार
JUDICIAL

27.2.2016

BIHAR

3302 2009665

प्रमाणित किया जाता है प्राचार्य/व्यवस्थापक.....

श्री. कमला चन्द्रिका जी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

श्री. ० नगर नौरा जहानाबाद

के द्वारा प्रस्तुत किया गया पोर्टेबुल अग्निशामक यंत्रों को जाँचोपरान्त उपयुक्त एवं क्रियाशील पाया गया। इस संदर्भ में निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिये प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि व्यवस्थापक/प्राचार्य:

1. पोर्टेबुल अग्निशामक यंत्रों को अपने स्कूल भवन में निर्देशित स्थान पर रखेंगे। संधारण की कमी के कारण यंत्रों में आने वाली तकनीकी खराबी की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी।
2. स्कूल में फायर सेफ्टी टीम का गठन कर वर्ष में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल करीयेंगे।
3. कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन विधि से अवगत करा देंगे।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट-4, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण हेतु स्टैटिक टैंक या हाइड्रेंट एवं अन्य व्यवस्था यथाशीघ्र करेंगे।
5. वर्ष में 1 बार अग्निशमन व्यवस्था की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

26/2/16

अग्निशामालय पदाधिकारी
अग्निशामालय पदाधिकारी
जहानाबाद

पत्रांक..... 57नि0/जहा0, दिनांक..... 26/2/16.....

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, जहानाबाद

प्रति:- प्रबंधक..... श्री. कमला चन्द्रिका जी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, श्री. ० नगर नौरा जहानाबाद

को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ

Attested

Secretary

Ms. Kamla Chandrika Jee Teacher's Training College
C. Nagar, Naura, Jahanabad

ATTESTED

27.02.16

26/2/16

अग्निशामालय पदाधिकारी
जहानाबाद

अग्नि-शामक यंत्रों जाँच

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है प्राचार्य/व्यवस्थापक श्री. कुमशा चन्द्रिका जी दीक्षित के द्वारा प्रस्तुत किया गया अग्निशामक यंत्रों को जाँचोपरान्त उपयुक्त एवं क्रियाशील पाया गया। इस संदर्भ में निर्गत तिथि से एक वर्ष लिये प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि व्यवस्थापक/प्राचार्य:

1. पोर्टेबुल अग्निशामक यंत्रों को अपने स्कूल भवन में निर्देशित स्थान पर रखेंगे। संधारण की कमी कारण यंत्रों में आने वाली तकनीकी खराबी की जिम्मेवारी प्राचार्य की होगी।
2. स्कूल में फायर सेफ्टी टीम का गठन कर वर्ष में कम से कम दो बार मॉक डील करायेंगे।
3. कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मियों को अग्निशामक यंत्रों के संचालन विधि से अवगत करा देंगे।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट-4, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण हेतु स्टैटिक टैंक या हाइड्रेंट एवं अन्य व्यवस्था यथाशीघ्र करेंगे।
5. वर्ष में 1 बार अग्निशामक व्यवस्था की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।


15/04/2017
अग्निशामक पदाधिकारी
अग्निशामक पदाधिकारी
जहानाबाद

पत्रांक.....119.....नि0/जह0, दिनांक.....15/04/2017

कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी, जहानाबाद

प्रति:- प्रबंधक श्री. कुमशा चन्द्रिका जी दीक्षित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ


15/04/2017
अग्निशामक पदाधिकारी
अग्निशामक पदाधिकारी
जहानाबाद

